केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली

बनाम

एम. एन. शर्मा

(आपराधिक अपील संख्या 1127 /2008)

21 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 389 और 482:

दोषसिद्धि का निलंबन। विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी, (एक कर्मचारी), को धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 3 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धारा 120 बी आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 389 (1) सपठित 482 द.प्र.स. उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि स्थगित-शुद्घता-अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निलंबन के निर्देश के दौरान कोई कारण नहीं दर्शाया-अतः उच्च न्यायालय का आदेश संधार्य नहीं तथा अपास्त किया जाता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 120 बी

विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी (एक कर्मचारी) को धारा 7 एवं 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धारा 120 बी आई.पी.सी. के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्यर्थी ने एक अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने निर्णय के निलंबन के लिए

धारा 482 सपठित धारा 389 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि का निलंबन स्पष्ट रूप से असंधार्य है।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यह एक ऐसा मामला था जहां दोषसिद्धि को निलंबित करने की प्रार्थना स्वीकार की जानी थी और जब तक दोषसिद्धि का आदेश निलंबित नहीं किया जाता, प्रतिवादी अपनी नौकरी खो देता।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दोषसिद्धि के निलंबन का निर्देश देते हुए कोई कारण नहीं बताया। इसिलए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का सजा के निलंबन/स्थगन का निर्देश देने वाला आदेश सही नहीं हो सकता है और अपास्त किया जाता है। (पैरा 10 और 11) [25-ए और बी]

के॰ सी॰ सरीन बनाम सी. बी. आई, चंडीगढ़ (2001) 6 एस. सी. सी. 584; महाराष्ट्र राज्य बनाम गजानन और एक अन्य (2003) 12 एस. सी. सी. 432; भारत संघ बनाम अतर सिंह (2003) 12 एस. सी. सी. 434 और हरियाणा राज्य बनाम हसमत (2004) 6 एस. सी. सी. 175-संदर्भित।

2. उच्च न्यायालय इस मामले पर विचारण करेगा और इस अपील का अतिशीघ्र निस्तारण करेगा। (पैरा 12) [25 डी]

(2001) 6 एस. सी. सी. 584; 6,7,8 और 9 को संदर्भित

(2003) 12 एससीसी 432;

(2003)12 एससीसी434;

(2004) 6 एससीसी 175;

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 1127/2008

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.2.2006 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय मे से अपील सं. 813/2005 में।

ए. शरण, ए. एस. जी., विकास शर्मा, अमित आनंद तिवारी, बी. के. प्रसाद और पी. परमेश्वरन अपीलार्थी के लिए।

उदय यू. ललित, आशुतोष लोहिया, गौरव अग्रवाल और ज्योति मेंदिरत्ता प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डॉ. अरिजीत पसायत**,** न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 2005 की आपराधिक अपील संख्या 813 के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी की सजा स्थगित रहेगी।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी जो सब-रजिस्ट्रार, तहसीलदार के रूप में कार्यरत था और उसे भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 और 13(1)(डी) के सपठित धारा 13(2) और धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा दोषी ठहराया गया था। अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'पीसी एक्ट') और

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी (संक्षेप में 'आईपीसी') और क्रमशः एक वर्ष, 2 वर्ष और एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 2000/- रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रश्नगत निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी ने उपरोक्त आपराधिक अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपील स्वीकार होने के बाद, प्रतिवादी ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को निलंबित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389(1) (संक्षेप में 'संहिता') के साथ धारा 482 के साथ पठित एक आवेदन दायर किया।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.2.2006 के आदेश द्वारा दोषसिद्धि को स्थगित कर दिया। अपीलकर्ता के अनुसार, केसी सरीन बनाम सीबीआई, चंडीगढ़ [2001(6) एससीसी 584] को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया था। हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धि का निलंबन स्पष्ट रूप से असंधार्य है। यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि नियोक्ता ने उप-रजिस्ट्रार के रूप में अपनी सेवाएं समाप्त करने के लिए एक नोटिस दिया था।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यह एक ऐसा मामला था जहां दोषसिद्धि को निलंबित करने की प्रार्थना स्वीकार की जानी थी। जब तक दोषसिद्धि का आदेश निलंबित नहीं किया जाता, प्रत्यर्थी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता।

6. महाराष्ट्र राज्य बनाम गजानन और अन्य [2003 (12) एससीसी 432] में, इस प्रकार नोट किया गया था:

आक्षेपित आदेश और केसी सरीन मामले [2001(6) एससीसी 584] में इस न्यायालय के फैसले के परिशीलन के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के पास तथ्यों के आधार पर भी केसी सरीन मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को अलग करने के लिए कोई तथ्य नहीं थी। उक्त मामले में इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 589, पैरा 11)

> "11. कानूनी स्थिति, इसलिए, यह है: हालांकि दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की शक्ति सजा के आदेश के अलावा, धारा 389(1) संहिता से अलग नही है परंतु, इसका प्रयोग अत्यंत असाधारण मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। केवल इसलिए कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए अपील दायर करता है, अदालत को दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित नहीं करना चाहिए। अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसी सजा को स्थगित रखने के परिणामों सहित सभी पहलुओं पर गौर करे। उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में हमें इस प्रश्न की जांच करनी होगी कि जब किसी लोक सेवक को पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं है जब अपीलीय अदालत पीसी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के लिए दायर अपील को स्वीकार कर लेती है, उच्च न्यायालय को आम तौर पर अपील के निस्तारण तक कारावास की सजा को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इनकार करने पर अपील ही व्यर्थ हो जाएगी अगर अपील दायर करने के तुरंत बाद ऐसी अपील पर सुनवाई नहीं की जा सके। लेकिन पीसी अधिनियम के तहत अपराध की दोषसिद्धि

को निलंबित करना फलस्वरूप उसकी अगली कड़ी के रूप में कारावास की सजा को कम करना, एक अलग मामला है।"

(जोर दिया गया)

केसी सरीन के मामले (सुप्रा) के उक्त फैसले में इस अदालत ने माना है कि केवल बहुत ही असाधारण मामलों में अदालत को इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों में स्थगित करने रोक की ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहीं भी यह नहीं बताया कि वह कौन सा असाधारण तथ्य है जिसके कारण उसकी राय में दोषसिद्धि पर रोक लगाना आवश्यक हो गया। उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्देश पर भी ध्यान देने में विफल रहा कि इस तरह की सजा को स्थगित रखने में न्यायालय का कर्तव्य है कि सभी पहलुओं तथा प्रभावों पर ध्यान दे। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते समय उपरोक्त किसी भी कारक पर विचार नहीं किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने के.सी. सरीन मामले (सुप्रा) में जो विचार व्यक्त किया हैं। उसे बाद में भारत संघ बनाम अतर सिंह [2003(12) एससीसी 434] में इस न्यायालय के फैसले के बाद मंजूरी दे दी गई।

7. भारत संघ बनाम अवतार सिंह एवं अन्य में (2003(12) एससीसी 434) में यह अभिनिर्धारित किया गया:

"यह अपील उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के खिलाफ निर्देशित है। प्रतिवादी-अभियुक्त, जिसे आईपीसी की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी ठहराया गया है, ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिस पर विचार किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दायर एक आवेदन पर,

उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को केवल इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि दोषसिद्धि को निलंबित न करने पर दोषी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है।"

8. केसी सरीन के मामले (सुप्रा) में यह नोट किया गया था:

"11. कानूनी स्थिति, इसलिए, यह है: हालांकि दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की शक्ति सजा के आदेश के अलावा, धारा 389(1) संहिता से अलग नही है परंतु, इसका प्रयोग अत्यंत असाधारण मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। केवल इसलिए कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए अपील दायर करता है, अदालत को दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित नहीं करना चाहिए। अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसी सजा को स्थगित रखने के परिणामों सहित सभी पहलुओं पर गौर करे। उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में हमें इस प्रश्न की जांच करनी होगी कि जब किसी लोक सेवक को पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है जब अपीलीय अदालत पीसी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के लिए दायर अपील को स्वीकार कर लेती है, उच्च न्यायालय को आम तौर पर अपील के निस्तारण तक कारावास की सजा को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इनकार करने पर अपील ही व्यर्थ हो जाएगी अगर अपील दायर करने के तुरंत बाद ऐसी अपील पर सुनवाई नहीं की जा सके। लेकिन पीसी अधिनियम के तहत अपराध की दोषसिद्धि

को निलंबित करना फलस्वरूप उसकी अगली कड़ी के रूप में कारावास की सजा को कम करना, एक अलग मामला है।"

“12. भारत में लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार अब विकराल रूप ले चुका है। इसकी पकड़ गणतन्त्र की रक्षा के लिए बनी संस्थाओं पर भी पड़ने लगी है। जब तक उन जालों को मजबूत विधायी, कार्यकारी और साथ ही न्यायिक अभ्यास के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों के सामान्य और व्यवस्थित कामकाज को रोकने से बाधित नहीं किया जाता है, तब तक भ्रष्ट लोक सेवक ऐसी संस्थाओं के कामकाज को पंगु बना सकते हैं और इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति में बाधा डाल सकते हैं। यदि ऐसे लोगों को सार्वजनिक संस्थानों का प्रबंधन और संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो भ्रष्ट लोक सेवकों की तीव्र वृद्घि सामाजिक व्यवस्था को पंगु बनाने की गति पकड़ सकता है। जब किसी न्यायालय द्वारा आयोजित न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के बाद कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, विवेकशीलता की माँग है कि उसे तब तक भ्रष्ट माना जाना चाहिए जब तक कि उसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त न कर दिया जाए। मात्र एक अपीलीय या पुनरीक्षण मंच ने उनकी चुनौती पर विचार करने और ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ किए गए मुद्दों और निष्कर्षों पर एक बार फिर से गौर करने का फैसला किया है, उन्हें ऐसे निष्कर्षों से अस्थायी रूप से भी मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई लोक सेवक सार्वजनिक पद पर बने रहे और आधिकारिक कार्य करना जारी रखे जब तक कि उसे दोषसिद्धि के आदेश के निलंबन के कारण ऐसे निष्कर्षों से न्यायिक रूप से मुक्त नहीं कर दिया जाता है,

तो यह सार्वजनिक हित है जो प्रभावित होता है और कभी-कभी, यहां तक कि अपूरणीय रूप से भी। जब भ्रष्टाचार के दोषी एक लोक सेवक को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो इससे ऐसे पद पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों का मनोबल ख़राब होगा, और इसके परिणामस्वरूप ऐसे सार्वजनिक संस्थानों में लोगों का पहले से ही कम हुआ विश्वास कम हो जाएगा, इसके अलावा अन्य ईमानदार लोक सेवकों का मनोबल गिर जाएगा जो या तो दोषी व्यक्ति के सहकर्मी या अधीनस्थ होंगे। यदि ईमानदार लोक सेवकों को घोषित भ्रष्ट अधिकारियों से आदेश लेने पड़ते है, उनके दोषसिद्धि के निलंबन के कारण तो इसका परिणाम व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अदालत को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए गए लोक सेवक को तब तक केवल (एसआईसी) सार्वजनिक पद पर बने रहने में सहायता नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वह अपीलीय या पुनरीक्षण स्तर पर न्यायिक निर्णय के बाद दोषमुक्त नहीं हो जाता। यह अलग बात है कि कोई भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारी दोषसिद्धि को निलंबित करने वाले अदालती आदेश की मदद के बिना भी ऐसे सार्वजनिक पद पर बना रह सकता है।"

“13. उपरोक्त नीति को सार्वजनिक कार्यालयों की प्रभावकारिता और उचित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक माना जा सकता है। यदि ऐसा है, तो कानूनी स्थिति यह निर्धारित की जा सकती है कि जब किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हो तो अपीलीय अदालत या पुनरीक्षण अदालत को अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित नहीं करना चाहिए, भले ही

कारावास की सजा निलंबित हो। यह एक उत्कृष्ट सार्वजनिक नीति होगी कि अपील या पुनरीक्षण के निस्तारण तक कारावास की सजा को स्थगित रखने के बावजूद दोषी लोक सेवक को दोषसिद्धि की अक्षमता के तहत रखा जाएगा।"

9. हरियाणा राज्य बनाम हसमत [2004(6) एससीसी 175] में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

"6. संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 की आवश्यक सामग्रियों में से एक अपीलीय अदालत के लिए सजा या अपील किए गए आदेश के निष्पादन को निलंबित करने का आदेश देने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त अदालत उसे जमानत या अपने बांड पर रिहा करने का निर्देश दे सकती है। कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा को निलंबित करने और जमानत देने का आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।"

10. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोषसिद्धि को निलंबित करने का निर्देश देते समय कोई कारण नहीं बताया।

11. इस स्थिति में विद्वान एकल न्यायाधीश का दोषसिद्धि के निलंबन/स्थगन का निर्देश देने वाला आदेश कायम नहीं रह सकता और उसे अपास्त किया जाता है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मामलों की सुनवाई 22.5.2008 को रखी गई थी। चूंकि एमएन शर्मा और रोशन लाल सैनी दोनों के मामले पोस्ट नहीं किए गए, इसलिए मामले को 22.9.2008 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को उठाए और अपील का यथाशीघ्र, अधिमानतः 2008 के अंत तक निस्तारण करे।

13. अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील अनुमत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।